न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 539 / 2026

CNR No. UPGD01001613-2026

राजेन्द्र कुमार उम्र करीब 23 साल पुत्र देवी प्रसाद, निवासी शुकुलपुर थाना खोड़ारे, जिला गोण्डा।

..... **आवेदक / अभियुक्त**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। ..... **अभियोजन।**

मुकदमा अपराध संख्या–37 / 2026,
धारा–331(4), 305ए, 317(2) बी.एन.एस.,
थाना–खोडारे, जिला–गोण्डा।

दिनांक–17.03.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक / अभियुक्त राजेन्द्र कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–37 / 2026, धारा–331(4), 305ए, 317(2) बी.एन.एस., थाना–खोड़ारे, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पैरोकार प्रदीप कुमार द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय या किसी समकक्ष न्यायालय में नही दिया गया है और न ही निरस्त हुआ और न विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राज कुमार पुत्र राधेरमण द्वारा थाना खोड़ारे, जिला गोण्डा में इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 15 / 16.02.2026 की रात हम अपने परिवार के साथ घर पर सोए हुए थे, रात में अजात चोरो द्वारा मेरे घर में घुसकर घर के अन्दर कमरे मे रखा बक्से से 2 अदद सोने की अंगूठी व एक अदद लाकेट सोने का व एक जोड़ी चाँदी विछुआ व एक जोड़ी पायल चाँदी व एक अदद् चाँदी का माला व बक्से मे ही रखा दो साड़ी जिसमे मटमैले कलर की किनारी गोटेदार ब्लू आसमानी नई साड़ी को चोरी कर ले गए, सुबह उठकर देखा बक्सा खुला मिला जिसमे से उपरोक्त सामान चोरी कर ले गए। मैने काफी तलाश किए उक्त सामान तथा चोरो का

पता नही चल सका तथा शाम को मेरे घर पर मेरे पिता जी के मित्र सोल्हू गुप्ता निवासी कूकनगर ग्राण्ट फुटही बाजार आए थे जिनका एक मोबाइल फोन वीवा टी811 छूट गया था जिसे भी चोर उठा ले गए मैने काफी पता तलाश किया न मिलने पर सूचना को आया हूँ। अतः उक्त प्रकरण मे रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे जिला गोण्डा में उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.02.2026 को समय 18.32 बजे, अन्तर्गत धारा 331(4), 305ए भारतीय न्याय संहिता विरूद्ध अज्ञात पंजीकृत की गई। दौरान विवेचना की गयी बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर वर्तमान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रस्तुत प्रकरण में धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से है तथा विलम्ब का कोई कारण दर्शित नही किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में महज रंजिशन फंसाया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही है, जो भी बरामदगी दिखायी गयी है, वह केवल मुकदमा बनाने के लिए की गयी है। आवेदक/अभियुक्त की घटना से पूर्व हल्का सिपाही से गांव में नाजायज धन उगाही को लेकर काफी विवाद हो गया था जिस पर उक्त सिपाही ने प्रार्थी को देख लेने की धमकी दिया था उसी रंजिश के कारण उक्त सिपाही द्वारा विवेचक मुकदमा से सांठ गांठ करके प्रार्थी को उक्त मुकदमा में फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है। मुकदमा पहले बनाम अज्ञात में कायम हुआ था और बाद में प्रार्थी की उक्त रंजिजश को लेकर उक्त मुकदमा में झूठा व फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी का उक्त तथाकथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नही है, न सह है, न जानकारी है। प्रार्थी सजायाफ्ता अपराधी प्रवृत्ति का नही है। प्रार्थी के विरूद्ध इस मुकदमें के अलावा कोई अन्य मुकदमा नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनाक 25.02.2026 से गोण्डा जेल में बन्द है। उपरोक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर पर चोरी की गयी है। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

उक्त कथन करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैनें आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली व सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त उपरोक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा के घर में घुसकर चोरी करने का आक्षेप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित है कि कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित घटना दिनांक 15.02.2026 की बतायी गयी है तथा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.02.2026 को विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा उक्त विलम्ब का कोई कारण दर्शित नही किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध है। उक्त अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अत्एव मामले के तथ्यों एवं परस्थितियों में अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राजेन्द्र कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–37/2026, अन्तर्गत धारा– 331(4), 305ए, 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–खोड़ारे, जिला–गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–539/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने की अण्डरटेंकिग दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देंगें और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा,

2– अभियुक्त विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा,

3– अभियुक्त जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान इस प्रकार के मामलों में संलिप्त नहीं होगा।

4– अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवदेक आरोप विरचित किये जाने के समय, बयान के समय, 313 दं0प्र0सं0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेंगे। ऐसा करने में यदि उनके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है, तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

5– न्यायालय की अनुमति के बिना अभियुक्त भारत नही छोड़ेगा।

(नम्रता अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1,
गोण्डा।
(जे0ओ0 कोड–यू.पी.2661)

दिनांक 17.03.2026

Digitally signed by NAMRATA AGRAWAL
Date: 2026.03.23 15:17:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court